न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :— श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान विशाल सिंह बनाम मांगुसिंह आदि

वाद संख्या 35 वर्ष 2020

निर्णय दिनांक :— 18/06/2025

विशालसिंह पुत्र रिड़मलसिंह जाति राजपूत निवासी रेड़ी तहसील तारानगर

—वादी—

बनाम

1. मांगुसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू
2. पप्पुसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू
3. दीपसिंह पुत्र रिड़मलसिंह जाति राजपूत निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू। हाल आबाद सी, 83 सैनिक बस्ती, पंखे के पास, चूरू।
4. संतोष कंवर पत्नी स्व. चतरसिंह जाति राजपूत निवासी रेड़ी तहसील तारानगर
5. सुरेन्द्रसिंह पुत्र चतरसिंह जाति राजपूत निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू।
6. पृथ्वीसिंह पुत्र शैतानसिंह जाति राजपूत निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू।
7. दुर्जनसिंह पुत्र शैतानसिंह जाति राजपूत निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू।
8. नानूसिंह पुत्र शैतानसिंह जाति राजपूत निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू।
9. रतन कंवर पत्नी स्व. महावीरसिंह जाति राजपूत निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू। हाल आबाद इन्दिरा कॉलोनी, एफ.सी.आई. गोदाम के पास बीकानेर।
10. विक्रमसिंह पुत्र महावीरसिंह जाति राजपूत निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू। हाल आबाद इन्दिरा कॉलोनी, एफ.सी.आई. गोदाम के पास बीकानेर।
11. वीरेन्द्रसिंह पुत्र महावीरसिंह जाति राजपूत निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू। हाल आबाद इन्दिरा कॉलोनी, एफ.सी.आई. गोदाम के पास बीकानेर।
12. रवीन्द्रसिंह पुत्र महावीरसिंह जाति राजपूत निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू। हाल आबाद इन्दिरा कॉलोनी, एफ.सी.आई. गोदाम के पास बीकानेर।
13. पुष्पा कंवर पत्नी जितेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू
14. मोना कंवर पुत्री जितेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू।
15. संजू कंवर पुत्री जितेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू।
16. आसुसिंह पुत्र जितेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू।
17. कल्याणसिंह पुत्र रिड़मलसिंह जाति राजपूत निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू। हाल आबाद आरसीपी कॉलोनी के पास, वार्ड नं. 15 तारानगर जिला चूरू।
18. भोमसिंह पुत्र चतरसिंह जाति राजपूत निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू।
19. ऑरियण्डल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा तारानगर जरिये प्रबन्धक।
20. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा तारानगर जरिये प्रबन्धक।
21. पंजाब नेशनल बैंक शाखा तारानगर जरिये प्रबन्धक।
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

—प्रतिवादीगण—

उपस्थिति :—

1. श्री रतन कुमार चाचाण एडवोकेट वास्ते वादी
2. राजपैरोकार वास्ते प्रतिवादी संख्या 22 तहसीलदार तारानगर

—:निर्णय:—

वादी द्वारा प्रस्तुत दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कृषि भूमि ख.नं. 156 तादादी 02.5416 हैक्टेयर, ख.नं. 292 तादादी 31.9033 हैक्टेयर, ख.नं. 295 तादादी 1.3404 हैक्टेयर, ख.नं. 300 तादादी 01.0242 हैक्टेयर, कुल तादादी 36.8095 हैक्टेयर रोही ग्राम रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है जिसमें वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार है जिसमें वादी 2/15 हिस्सा

Rajendra

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

...तेदारी काश्तकारी का है। उक्त कृषि भूमि ही विवादित कृषि भूमि है जिसकी सम्वत 2073 से 2076 ...की जमाबन्दी संलग्न कर वादाधार वाद बनाई जा रही है।

विवादित कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 मांगुसिंह 7/128 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 पप्पुसिंह ...7/128 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 दीपसिंह 2/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 संतोष कंवर 1/50 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 सुरेन्द्रसिंह 1/25 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 पृथ्वीसिंह 7/64 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 दुर्जनसिंह 7/64 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 नानूसिंह 7/64 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 9 रतन कंवर 1/96 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 10 विक्रमसिंह 5/384 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या ...1 वीरेन्द्रसिंह 5/384 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 रविन्द्रसिंह 5/384 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 13 ...या कंवर 5/1536 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 14 मोना कंवर 5/1536 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 15 ...जू कंवर 5/1536 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 16 आसुसिंह 5/1536 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 17 ...ल्याणसिंह 2/15 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 18 भोमसिंह 1/25 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

विवादित कृषि भूमि पर पक्षकारान वाद अपनी सुविधानुसार आपसी पारिवारिक व्यवस्था के ...ताबिक काश्त करते चले आ रहे हैं लेकिन खाता सामलाती रहने से व राजस्व रकम अदा करने के ...क्त आपसी तनाजा रहता है व वरवक्त काश्त भी तनाजा रहता है। ऐसी सूरत में हर सह खातेदार ...पने-अपने हिस्से की कृषि भूमि को सही एवं सुचारू ढंग से काश्त नहीं कर पाते हैं व काश्त के ...मय हर समय मनमुटाव व आपसी झगड़े होने की सम्भावना रहती है ऐसी सूरत में वादी की ओर से ...पने हिस्से का खाता विभाजन कर अलग से राजस्व रकम कायम करवाई जाकर अलग से राजस्व ...कॉर्ड में प्रविष्टि करवाने हेतु उक्त वाद खाता विभाजन का प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी का मुख्य ...जीविका का साधन कृषि है। अगर वादी अलग से खाता विभाजन किया जाकर अलग से राजस्व ...कम कायम की जाकर अलग से राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि नहीं करवाई जाती है तो वह अपनी कृषि ...मे को सही एवं सुचारू रूप से काश्त नहीं कर पाता है जिससे उसके व उसके बाल बच्चों की ...जीविका चलनी मुश्किल हो गई है। ऐसी सूरत में प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के मुताबिक वादी ... हिस्से की कृषि भूमि का अलग से खाता विभाजन किया जाकार तथा राजस्व रकम कायम की ...कर अलग से राजस्व अंकन करवाया जाना हर सूरत में न्यायोचित एवं उचित है।

वादी द्वारा समस्त प्रतिवादीगण को दिनांक 15.07.2020 को बमुकाम रेड़ी व तारानगर में ...वादित कृषि भूमि का वादी का खाता अलग विभाजित करवाया जाकर अलग से राजस्व रिकॉर्ड में ...कन करवाने बाबत कहा तो समस्त प्रतिवादीगण ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार हो गये। अतः यही ...रीख वाद कारण व वादाधार वाद है जो वादी को बमुकाबले प्रतिवादीगण बमुकाम तारानगर ... ...मिल हुई है। कुछ प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 19, 20 व 21 के यहां के के.सी.सी. ऋण ...र गिरवी रखा हुआ है। ऐसी सूरत में उन्हें पक्षकार वाद बनाया गया है। वादी इनके विरूद्ध किसी ... प्रकार का अनुतोष क्लेम नहीं कर रहा है।

इस प्रकार वादी ने वादपत्र पेश कर विवादित कृषि भूमि ख.नं. 156 तादादी 02.5416 हैक्टेयर ...नं. 292 तादादी 31.9033 हैक्टेयर, ख.नं. 295 तादादी 1.3404 हैक्टेयर, ख.नं. 300 तादादी 01.024... ...टेयर, कुल तादादी 36.8095 हैक्टेयर रोही ग्राम रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू में अपने हिस्से... ...का खाता अलग से विभाजित करने का अनुतोष चाहा।

वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवा... ...ख्या 1, 6, 7 ता 10, 12, 13 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र राठौड़ ने तथा प्रतिवादी संख्या ... ओर से अधिवक्ता श्री अनुराध चौधरी ने वकालातनामा पेश किया जिन्हे शामिल पत्रावली कि... ...। प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 व 17, 18 स्वयं उपस्थित आये तथा जवाब दावा हेतु समय चाह... ...वादी सख्या 2, 11, 14 ता 16, 19, 20 पर रजिस्टर्ड सम्मन तामिल होने के बावजूद ...पस्थित रहे अतः इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 3 ता ...17, 18 प्रथम तारीख पेशी के बाद असालतन या वकालातन उपस्थित नहीं आयें अतः इ... ...लाफ एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। बार-बार अवसर दिया जाने पर ...वादी संख्या 1, 6, 7 ता 10, 12, 13 व 21 के अधिवक्ता द्वारा जवाब दावा पेश नहीं किया ग... ... दिनांक 20.08.2024 को इनका जवाब दावा बन्द किया गया।. अन्त में दिनांक 23.09.2024

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

...अतः प्रतिवादीगण एवं इनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आयें। अतः संख्या 1, 6, 7 ता 10, 12, 13 व 21 के खिलाफ भी एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया।

प्रकरण वादी के हिस्से तक की भूमि के खाता विभाजन का होने से राज्यहित प्रभावित नहीं होता। दावा का कोई खण्डन पेश नहीं होने से तनकी कायम नहीं की गई। वकील वादी ने साक्ष्य नहीं करायें।

वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए दावा प्राथमिक डिक्री करने एवं विवादित भूमि का खाता विभाजन मंगवाने का निवेदन किया। वकील वादी के कथनों पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। दावा के साथ प्रस्तुत नकल जमाबन्दी के अनुसार वादी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है। रिकार्डेड खातेदार होने से वह अपने हक हिस्सा तक की कृषि भूमि का खाता विभाजन अलग से विभाजित कराने का अधिकारी है। दावा का कोई खण्डन भी पेश नहीं हुआ है। वाद पूर्ण सुनवाई कर निर्णय दिनांक 01.10.2024 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर कृषि भूमि ख.नं. 156 तादादी 02.5416 हैक्टेयर, ख.नं. 292 तादादी 31.9033 हैक्टेयर, ख.नं. 295 तादादी 1.3404 हैक्टेयर, ख.नं. 300 तादादी 01.0242 हैक्टेयर, कुल तादादी 36.8095 हैक्टेयर रोही ग्राम रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू मे से वादी के हक हिस्सा तक की कृषिभूमि का खाता अलग से विभाजित करने का आदेश पारित किया गया। प्राथमिक डिक्री की पालना हेतु तहसीलदार तारानगर को तहरीर जारी की गई।

प्राथमिक डिक्री दिनांक 01.10.2024 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। विभाजन प्रस्ताव पर वकील वादी की बहस सुनी गई। विभाजन प्रस्ताव को वकील वादी ने सही होना स्वीकार किया तथा इसी के मुताबिक दावा अन्तिम डिक्री करने का निवेदन किया। विभाजन प्रस्ताव वादी के हक हिस्सा तक की भूमि का है जिसे तहसीलदार तारानगर ने मौके पर जाकर तैयार किया है। विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने से वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

—:: आदेश ::—

अतः वाद वादीगण बरूये विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा विवादित कृषि भूमि ख.नं. 156 तादादी 02.5416 हैक्टेयर, ख.नं. 292 तादादी 31.9033 हैक्टेयर, ख.नं. 295 तादादी 1.3404 हैक्टेयर, ख.नं. 300 तादादी 01.0242 हैक्टेयर, कुल तादादी 36.8095 हैक्टेयर रोही मौजा रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू का खाता विभाजन बरूये विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार किया जाता है

(1)विवादित कृषिभूमि रोही ग्राम रेड़ी तहसील तारानगर के खसरा नं. 156 मीन 1.2708 हैक्टेयर, खसरा नं. 292 मीन 3.2577 हैक्टयर, खसरा 292 मीन 0.3794 हैक्टर भूमि जिसे विभाजन प्रस्ताव (नक्शा) में बरंग बैंगनी से दर्शाया गया है, वादी संख्या 1 विशाल सिंह पुत्र रिड़मल सिंह का पूर्ण हिस्सा, जाति राजपूत निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू के हक हिस्से में रहेगी।

(2)विवादित कृषिभूमि रोही ग्राम रेड़ी तहसील तारानगर के खसरा नं. 156 मीन 1.2708 हैक्टयर, खसरा नं. 292 मीन 28.2662 हैक्टयर, खसरा 295 तादादी 1.3404 हैक्टर, खसरा नं. 300 तादादी 1.0242 हैक्टेयर भूमि जिसे विभाजन प्रस्ताव (नक्शा) में बरंग हरा से दर्शाया गया है, हिस्सा 10522/31905 प्रतिवादी कर्मवीर सिंह पुत्र विक्रम सिंह, जाति राजपूत निवासी रेड़ी तहसील

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

तारानगर जिला चूरू हाल आबाद एफ.सी.आई गोदाम इन्द्रा कॉलोनी बीकानेर, हिस्सा 9816/63803 कल्याण सिंह पुत्र रिड़मल सिंह, हिस्सा 31661/319015 दुर्जनसिंह पुत्र शैतानसिंह, हिस्सा 9816/63803 दीपसिंह पुत्र रिड़मल सिंह, हिस्सा 2099/63803 धनसिंह पुत्र पृथ्वीसिंह, हिस्सा 6877/319015 नानूसिंह पुत्र शैतानसिंह, हिस्सा 8052/63803 पृथ्वीसिंह पुत्र शैतान सिंह, हिस्सा 4026/63803 पप्पूसिंह पुत्र भंवरसिंह, हिस्सा 8208/319015 पुष्पाकंवर पत्नी जितेन्द्रसिंह, हिस्सा 14724/319015 भोमसिंह पुत्र चतरसिंह, हिस्सा 6985/63803 मांगुसिंह पुत्र भंवरसिंह, हिस्सा 20967/319015 राजमोहन पुत्र पप्पूसिंह, हिस्सा 7362/319015 सन्तोष कंवर पत्नी चतरसिंह, हिस्सा 14724/319015 सुरेन्द्रसिंह पुत्र चतरसिंह जाति राजपूत निवासी रेड़ी तहसील तारानगर जिला चूरू के हक हिस्से में ब. हिस्सा बराबर रहेगी।

जिन खातेदारों की भूमि बैंक रहन है वह यथावत बैंक रहन रहेगी। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव व इसके साथ प्रस्तुत नक्शा निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना-अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुरजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक ...18/06/2025... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)